कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

परिपत्र

विद्यालयों में शौचालयों, विद्यालय परिसर, एवं कक्षा कक्षों की नियमित सफाई तथा इस हेतु सफाई कार्य जॉब–बेसिस पर कराने हेतु निम्नानुसार निदेश जारी किये जाते है :–

1. विद्यालय के परिसर, विद्यालय भवन, कक्षा कक्ष एवं शौचालय की नियमित साफ–सफाई की व्यवस्था हेतु विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) एवं विद्यालय विकास कोष एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) के माध्यम से स्थानीय स्तर पर व्यवस्था करवाई जानी सुनिश्चित् करें। इस हेतु विद्यालय विकास कोष, विद्यार्थी कोष, रमसा के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाने वाली स्वच्छता राशि एवं वार्षिक विद्यालय अनुदान राशि में से, जनसहयोग/सीएसआर अथवा अन्य स्त्रौतों से प्राप्त कर उपलब्धता के अनुसार व्यय की जावे। सत्रारम्भ में ही इस हेतु विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) एवं विद्यालय विकास कोष एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) से सहमति प्राप्त कर ली जावे।
2. सत्र के प्रारंभ में विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) एवं विद्यालय विकास कोष एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) की विशेष बैठक आयोजित कर उक्त सफाई व्यवस्था के लिये राजस्थान **लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 26** के अनुसार वित्तीय वर्ष में एक लाख रूपये से नीचे की सीमा में एवं एक अवसर पर दस हजार रूपये मूल्य तक कार्य/सेवा सिंगल कोटेशन के द्वारा कार्य करवाने की कार्यवाही करें। इस हेतु आवश्यक सहायक सामग्री यथा झाडू , फिनाईल, साबून आदि की खरीद भी कर ली जावे। शौचालय में पानी की व्यवस्था के लिये लगी पानी की टंकी में पानी चढ़ाने के लिये मोटर आदि की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाऐ।
3. विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) एवं विद्यालय विकास कोष एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) विद्यालय भवन, कक्षा कक्ष, विद्यालय परिसर, शौचालय की संख्या तथा विद्यालय के नामांकन के अनुरूप आवश्यकता का आंकलन कर सफाई कार्य हेतु जॉब बेसिस पर सफाई कार्य हेतु कार्यकारी ऐजेन्सी अथवा व्यक्ति के सेवाऐ ली जाने हेतु सेवाओं के लिये आदेश जारी करावें। इस साफ–सफाई कार्य का भुगतान अग्रोलिखित मदों में से **सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के पार्ट–III के पार्ट– II (आकस्मिक एवं विविध व्यय) के बिन्दु संख्या–01 के A के (2)** के अनुसार पार्ट टाईम वर्क के अकुशल कार्य में अधिकतम 1200 रूपये मासिक (कार्य की स्थिति के अनुसार, यदि कार्य चार घंटे से कम का है तो तद्नुरूप अनुपातिक) की जावे।
4. उक्त सफाई कार्य के प्रबोधन के एसडीएमसी/एसएमसी का कोई एक सदस्य, एक शिक्षक तथा एक विद्यार्थी प्रतिनिधि के तीन सदस्य प्रति दिवस विद्यालय की समस्त साफ–सफाई का अवलोकन कर रजिस्टर संधारित करेंगे, जिसमें प्रति दिवस हुई साफ सफाई की स्थिति को अंकित किया जाऐगा। इसी रिकार्ड के प्रमाणीकरण के आधार पर जॉब बेसिस पर हुए सफाई कार्य का भुगतान किया जाएगा।
5. विद्यालय में स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) बिन्दु संख्या– 01 से 04 की व्यवस्था हेतु स्वैच्छिक सहयोग की राशि प्राप्त कर सकेगी तथा विद्यालय विकास कोष एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) आवश्यकतानुसार प्रस्ताव पर सहमति प्राप्त कर विकास शुल्क की राशि की समीक्षा कर पुनर्निधारण कर सकेगी।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

www.rajteachers.com

क्रमांकः शिविरा–माध्य/मा–स/22461/2014–17/110 दिनांक : 07.05.18

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. शासन उप सचिव, प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
6. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान, जयपुर
7. समस्त मण्डल उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को मण्डल परिक्षेत्र में क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु।
8. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड एवं समस्त राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के ई–मेल पता पर प्रेषित करने हेतु।
9. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
10. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक(माध्यमिक)

www.rajteachers.com